Counselling - 2025

Main Round of Counselling Schedule

Group-E (Pharmacy)

FOR ALL QUALIFIED CANDIDATES & MINORITY INSTITUTES OF UTTAR PRADESH

Sl.No.	Counselling Activities	Date
	Round - 01	
	दिनांक 27.06.2025 से 08.07.2025 तक प्रथम चरण की प्रवेश काउन्सिलिंग सम्पन्न करायी जा चुकी है।	
	Round - 02	
1	(i) 2nd Round Choice Filling (for QUALIFIED candidates of UP state) (ii) Choice Filling for Minority Special Quota Seats in existing Minority Institutions	25/09/2025 to 03/10/2025 **(up to 12:00 NOON)** •
2	2nd Round seat allotment	03/10/2025
3	2nd Round Online Freeze/Float option selection for all candidates, and deposit Security + Counselling fee through their Login (online)	04/10/2025 to 07/10/2025 (up to 12:00 NOON)
4	Document Verification at the district Help Centers (only for Freeze candidates)	04/10/2025 to 07/10/2025 (up to 6:00 PM)

- **दिनांक 03.10.2025 को द्वितीय चरण के सीट आवंटन परिणाम घोषित होने के कारण द्वितीय चरण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प चयन दिनांक 03.10.2025 के अपराह्न 12:00 बजे तक किया जा सकेगा।**

Sl.No.	Counselling Activities	Date
	Round - 03	
1	(i) 3rd Round Choice Filling (for QUALIFIED candidates of UP state) (i) Choice Filling for Minority Special Quota Seats in existing Minority Institutions	08/10/2025 to 12/10/2025
2	3rd Round seat allotment	13/10/2025
3	3rd Round deposit Security + Counselling fee through their Login (online). All candidates are auto Freeze	14/10/2025 to 17/10/2025 (up to 12:00 NOON)
4	Document Verification at the district Help Centers (only for Freeze candidates)	14/10/2025 to 17/10/2025 (up to 6:00 PM)
5	Admitted Seat Withdrawal for all Round	17/10/2025
6	Last date of Online P I Reporting	18/10/2025

नोट:-

1. काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपने लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड के द्वारा पोर्टल **https://jeecup.admissions.nic.in** पर लॉगिन करते हुए प्रवेश हेतु चयनित

Scanned with OKEN Scanner

संस्था/पाठ्यक्रम के विकल्पों को अधिकाधिक संख्या में पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा सकेगा। अतः विगत वर्ष-2024 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का अध्ययन कर विकल्पों का चयन करना उचित होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आई0डी0 अथवा पासवर्ड भूल गया है तो वह पोर्टल पर उपलब्ध Forget Password का चयन कर पासवर्ड Reset कर सकता है अथवा परिषद के हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है।

2. **प्रथम चरण की काउन्सिलिंग प्रक्रिया पूर्ण कर चुके ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके द्वारा आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश शुल्क जमा कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गई हैं, उनको द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने की आवश्यकता नहीं है, वे प्रवेशित माने जायेंगे।**
3. प्रथम चरण की काउन्सिलिंग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फ्लोट विकल्प का चयन किया था वे यथावत् रहेंगे। यदि वे अभ्यर्थी अपने विकल्पों को परिवर्तित करना चाहते हैं तो किये जा सकते हैं।
4. मुख्य काउन्सिलिंग के उक्त दोनों चरण ऑनलाइन होंगे जिसमें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों अथवा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य के मूल निवासी है, किन्तु उन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे केन्द्र सरकार के कर्मचारी जिनका कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हो, की सन्तानें प्रतिभाग कर सकेगी।
5. द्वितीय एवं तृतीय चरण में डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केन्द्रों पर किया जायेगा। अभ्यर्थी प्रदेश में स्थापित किसी भी सहायता केन्द्र पर जाकर प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
6. सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट/फ्रीज विकल्प का चयन करना आवश्यक होगा। फ्लोट/फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को निर्धारित सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क (रु0 3000 सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं रु0 250/- काउन्सिलिंग शुल्क) कुल रु0 3250/- पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केन्द्र पर जाना होगा। डाक्यूमेन्ट वेरिफिकेशन के पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में रिपोर्ट कर निर्धारित तिथि तक अवशेष शुल्क जमा करना होगा, जिसके पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण मानी जायेगी।

   फ्लोट विकल्प का चयन केवल द्वितीय चरण में ही उपलब्ध होगा। तृतीय चरण में आवंटित सभी सीटें स्वतः फ्रीज होंगी।
7. द्वितीय चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी कम काउन्सिलिंग शुल्क नहीं जमा करता है तो वह तृतीय चरण की काउन्सिलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। द्वितीय चरण से तृतीय चरण तक यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा सीट एक्सेप्टेंस शुल्क रू0 3250/- जमा किया गया था, परन्तु काउन्सिलिंग प्रक्रिया (अभिलेख सत्यापन/संस्था में उपस्थित होकर निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा किया जाना) पूर्ण नहीं की जाती है तो उन सभी अभ्यर्थियों को आवंटित सीट निरस्त कर दी जायेगी। यदि ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में पुनः प्रतिभाग करते हैं तो सीट आवंटन प्राप्त होने की स्थिति में पुनः सीट एक्सेप्टेंस शुल्क रू0 3250/- (जिसमें रू0 3000/- शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जायेगा तथा 250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में देय होगा) जमा करना होगा।

   इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन नहीं कराता है अथवा निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा नहीं करता है तो वह तृतीय चरण की काउन्सिलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में पुनः काउन्सिलिंग में भाग ले सकते हैं, परन्तु चतुर्थ चरण में आवंटन प्राप्त होने की स्थिति में पुनः

Scanned with OKEN Scanner

सीट एक्सेप्टेंस शुल्क रू0 3250/- (जिसमें रू0 3000/- शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जायेगा तथा 250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में देय होगा) जमा करना होगा।

8. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य काउन्सिलिंग के द्वितीय एवं तृतीय चरण में सीट एक्सेपटेन्स फीस जमा कर दी है, किन्तु निर्धारित तिथि तक अभिलेख सत्यापित (Document Verification) नहीं कराये हैं, का संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसे आवंटित सीट काउन्सिलिंग के अगले चरण की सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी।

9. अभ्यर्थी मुख्य काउन्सिलिंग में उपलब्ध करायी गयी सीट Withdrawal की आनलाइन सुविधा के अन्तर्गत सीट एक्सेपटेन्स फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे।

10. काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथि में सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क रु0 3000/- को अभ्यर्थियों द्वारा Withdrawal विकल्प का चयन करते समय जिस बैंक खाते का विवरण दिया जायेगा, उसी बैंक खाते में आनलाइन अन्तरित/रिफन्ड किया जायेगा एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा, वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

11. आवंटित संस्था द्वारा यदि संस्था/पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की मांग अभ्यर्थी से की जाती है तो अभ्यर्थी प्रमाणिक साक्ष्यों के साथ सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बांसमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अधिक शुल्क की मांग का प्रकरण संज्ञान में आने पर सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 की संस्तुति पर सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की ओर से प्रवेश क्षमता में कटौती अथवा सम्बद्धता समाप्त किये जाने व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

12. अभ्यर्थी अपने औपबन्धिक पावना पत्र (Provisional Admission letter) एवं समस्त मूल अभिलेख यथा अंक पत्र, वर्ग एवं उपवर्ग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, आय, निवास, ई0डब्लू0एस0, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर सम्बन्धित संस्थान में शिक्षण शुल्क जमा करते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा सम्बन्धित संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा। काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थी को यदि संस्था द्वारा प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच करने के पश्चात सम्बन्धित संस्था में उसे प्रवेश प्रदान कराने हेतु कार्यवाही करायी जायेगी। प्रतिकूल स्थिति में ऐसी संस्था के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

13. प्रदेश की राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश आवंटन केवल आनॅलाइन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के माध्यम से योग्यताक्रम के अनुसार ही सम्भव होगा। प्रवेश का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध/मान्य नहीं होगा।

14. **अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित छात्र/छात्रायें काउन्सिलिंग में सम्मिलित निजी क्षेत्र की अल्पसंख्यक संस्थाओं की विशेष अल्पसंख्यक कोटा सीटों का चयन कर सकते हैं।**

15. काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर चुके छात्र/छात्रायें आवंटित संस्था में प्रवेश के तुरन्त बाद ही नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। **काउन्सिलिंग के अन्तिम चरण के पश्चात विलम्ब से प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं के लिए संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था कर कोर्स पूरा कराया जायेगा।**

16. संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक के द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की एन0आई0सी0 के पोर्टल पर **दिनांक 18.10.2025 तक पी0आई0 (PARTICIPATING INSTITUTE) रिपोर्टिंग** करनी अनिवार्य होगी, जिससे प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रवेश एन0आई0सी0 के सॉफ्टवेयर में सुनिश्चित हो सके, जोकि अन्तिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा। यदि संस्था द्वारा निर्धारित तिथि तक पी0आई0 (PARTICIPATING INSTITUTE) रिपोर्टिंग नहीं की जाती

Scanned with OKEN Scanner

है तो अभ्यर्थी को आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसे मुख्य चरण में आवंटित सीट काउन्सिलिंग के अगले चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस नहीं की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी यदि चतुर्थ चरण में पुनः प्रतिभाग करते हैं तो सीट आवंटन होने की स्थिति में उन्हें सीट एक्सेप्टेंस शुल्क रू0 3250/- पुनः जमा करना होगा, अन्यथा उन्हें आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी।

Counselling - 2025

Special Round of Counselling Schedule

Group-E (Pharmacy)

FOR ALL QUALIFIED CANDIDATES OF UTTAR PRADESH & OTHER STATES AND MINORITY INSTITUTES

Sl.No.	Counselling Activities	Date
	Round - 04	
1	(i) 4th Round Choice Filling (for QUALIFIED candidates of UP & Other State) (ii) Choice Filling for Minority Special Quota Seats in existing Minority Institutions	21/10/2025 to 23/10/2025
2	4th Round seat allotment	24/10/2025
3	4th Round option selection is auto Freeze for all candidates, and deposit Security + Counselling fee through their Login (online)	25/10/2025 to 29/10/2025 (upto 12:00 NOON)
4	Document Verification at the district Help Centers (only for Freeze candidates)	25/10/2025 to 29/10/2025 (up to 6:00 PM)
5	4th Round Admitted Seat Withdrawal	29/10/2025
6	Last date of Online P I Reporting	30/10/2025

नोट:-

1. विशेष काउन्सिलिंग का उक्त चरण ऑनलाइन होगा जिसमें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित **उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य राज्यों के अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकेंगे।**
2. काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपने लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड के द्वारा पोर्टल **https://jeecup.admissions.nic.in** पर लॉगिन करते हुए प्रवेश हेतु चयनित संस्था/पाठ्यक्रम के विकल्पों को अधिकाधिक संख्या में पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा सकेगा। अतः विगत वर्ष-2024 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का अध्ययन कर विकल्पों का चयन करना उचित होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आई0डी0 अथवा पासवर्ड भूल गया है तो वह पोर्टल पर उपलब्ध Forget Password का चयन कर पासवर्ड Reset कर सकता है अथवा परिषद के हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है।
3. चतुर्थ चरण में डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केन्द्रों पर किया जायेगा। अभ्यर्थी प्रदेश में स्थापित किसी भी सहायता केन्द्र पर जाकर प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
4. चतुर्थ चरण में सीट आवंटन के पश्चात विकल्प चयन स्वतः फ्रीज होगा। फ्रीज विकल्प होने की दशा में अभ्यर्थी को निर्धारित सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क (रू0 3000 सीट

Scanned with OKEN Scanner

एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं रु0 250/- काउन्सिलिंग शुल्क) कुल रु0 3250/- पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग शिड्यूल के अनुसार निर्धारित तिथि में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केन्द्र पर भी जाना होगा। डाक्यूमेन्ट वेरिफिकेशन के पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में रिपोर्ट कर निर्धारित अन्तिम तिथि तक अवशेष शुल्क जमा करना होगा, जिसके पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण मानी जायेगी।

5. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विशेष काउन्सिलिंग के चतुर्थ चरण में सीट एक्सेपटेन्स फीस जमा कर दी है, किन्तु निर्धारित तिथि तक अभिलेख सत्यापित (Document Verification) नहीं कराये हैं, का संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. अभ्यर्थी विशेष काउन्सिलिंग में उपलब्ध करायी गयी सीट Withdrawal की आनलाइन सुविधा के अन्तर्गत सीट एक्सेपटेन्स फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे।
7. काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथि में सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क रु0 3000/- को अभ्यर्थियों द्वारा Withdrawal विकल्प का चयन करते समय जिस बैंक खाते का विवरण दिया जायेगा, उसी बैंक खाते में आनलाइन अन्तरित/रिफन्ड किया जायेगा एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा, वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
8. आवंटित संस्था द्वारा यदि संस्था/पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की मांग अभ्यर्थी से की जाती है तो अभ्यर्थी प्रमाणिक साक्ष्यों के साथ सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बांसमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अधिक शुल्क की मांग का प्रकरण संज्ञान में आने पर सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 की संस्तुति पर सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की ओर से प्रवेश क्षमता में कटौती अथवा सम्बद्धता समाप्त किये जाने व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
9. अभ्यर्थी अपने औपबन्धिक पावना पत्र (Provisional Admission letter) एवं समस्त मूल अभिलेख यथा अंक पत्र, वर्ग एवं उपवर्ग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, आय, निवास, ई0डब्लू0एस0, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर सम्बन्धित संस्थान में शिक्षण शुल्क जमा करते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा सम्बन्धित संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा। काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थी को यदि संस्था द्वारा प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच करने के पश्चात सम्बन्धित संस्था में उसे प्रवेश प्रदान कराने हेतु कार्यवाही करायी जायेगी। प्रतिकूल स्थिति में ऐसी संस्था के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
10. प्रदेश की राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश आवंटन केवल आनॅलाइन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के माध्यम से योग्यताक्रम के अनुसार ही सम्भव होगा। प्रवेश का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध/मान्य नहीं होगा।
11. **अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित छात्र/छात्रायें काउन्सिलिंग में सम्मिलित निजी क्षेत्र की अल्पसंख्यक संस्थाओं की विशेष अल्पसंख्यक कोटा सीटों का चयन कर सकते हैं।**
12. काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर चुके छात्र/छात्रायें आवंटित संस्था में प्रवेश के तुरन्त बाद ही नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। **काउन्सिलिंग के अन्तिम चरण के पश्चात विलम्ब से प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं के लिए संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करं कोर्स पूरा कराया जायेगा।**
13. संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक के द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की एन0आई0सी0 के पोर्टल पर **दिनांक 30.10.2025 तक पी0आई0 (PARTICIPATING INSTITUTE) रिपोर्टिंग** करनी अनिवार्य होगी, जिससे प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रवेश एन0आई0सी0

Scanned with OKEN Scanner

के सॉफ्टवेयर में सुनिश्चित हो सके, जोकि अन्तिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा। यदि संस्था द्वारा निर्धारित तिथि तक पी0आई0 (PARTICIPATING INSTITUTE) रिपोर्टिंग नहीं की जाती है तो अभ्यर्थी को आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसे विशेष चरण में आवंटित सीट काउन्सिलिंग के अगले चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस नहीं की जायेगी। चतुर्थ चरण के पश्चात यदि विशेष काउन्सिलिंग में कोई अतिरिक्त चरण प्रस्तावित होता है तो इसमें सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सीट एक्सेप्टेंस शुल्क रू0 3250/- पुनः जमा करना होगा।

24-09-25   24/09/2025

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद
उ०प्र०,लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner